ग्राम पंचायत क्यार कनैता, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत क्यार कनैता, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्री बाबू राम	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती गीता महाजन	23.1.16 से आगे

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री जिया लाल	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत क्यार कनैता, विकास खण्ड नालागढ़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.92
2	8	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.15
3	10 (क)	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	12.68
4	15 (ख)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	10.53

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत क्यार कनैता के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/14, 07/15 व 12/16 तथा व्यय हेतु माह 05/14, 01/16 व 02/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत क्यार कनैता के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 132 दिनांक 6.12.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	1178923.65	1309121.82	2488045.47	1345215.00	1142830.47
2015–16	1142830.47	3947340.48	5090170.95	3305043.50	1785127.45
2016–17	1785127.45	5706719.47	7491846.92	5590412.75	1901434.17

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत की मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2014–15	7338	1295792.00	1303130.00	1303170.00	–40
2015–16	–40	1029171.30	1029131.30	1029171.30	–40
2016–17	–40	1639298.00	1639258.00	1639298.00	–40

(ग) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत की इंदिरा आवास योजना (IAY) से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** अनुसार निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2014–15	86620	197575.	284195	243000	41195
2015–16	41195	151915	193110	122700	70410
2016–17	70410	1298923	1369333	973500	395833

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत क्यार कनैता की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों

के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹173162.56 का अन्तर दर्शाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अन्तर का समाधान करके दर्शा दिया जाएगा।

क्र0सं0	**शीर्ष**	**रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष परिशिष्ट "क"**	**दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष परिशिष्ट "क"**	**अन्तर**
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1901434.17	1752271.61	149162.56
2	मनरेगा	–40 (नोटः– दिनांक 10.10.14 को रोकड़ बही में ₹40 का अधिक भुगतान) वास्तविक शेष=40+40	0.00	0.00
3	IAY	395833	419833	24000
			कुल योग	**₹173162.56**

नोटः– आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः– ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः–

	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			**दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष**		
शीर्ष	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**शेष**	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**शेष**
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	SBOP Loharghat	1511	8.73	SBOP Loharghat	1511	8.73
	SBOP Loharghat	55132258088	50516.77	SBOP Loharghat	55132258088	478489.77
	JCC Nalagarh	101334022000187	174382.66	Post Office Nalagarh	————	1837.25
	Post Office Nalagarh	———	1837.25	JCC Nalagarh	101334022000132	1271916.93
	JCC Nalagarh	101334022000132	824404.32	Cash in hand	———	18.93
	JCC Nalagarh	101334022000169	125494.95	Total	———	1752271.61
	JCC Nalagarh	———	1884.00	———	———	———
	Cash in hand	———	394.97	———	———	———
	Total	**———**	**1178923.65**	**———**	**———**	**———**

IAY	JCC Bank Nalagarh	–––	86620.00	JCC Nalagarh	101334022000038	419833
मनरेगा	SBOP Loharghat	–––	7338.00	SBOP Loharghat	65036925670	0

नोटः– SBOP लोहार घाट (शेष ₹8.73) तथा डाकघर नालागढ़ (शेष ₹1837.95) से सम्बन्धित पास बुकें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्देशानुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, प्रविष्टियों में कटिंग्स की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या भी नहीं लिखी गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कडाई से किया जाए।

(ख) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
10.7.14	1038.40
25.7.14	1871.86
6.8.14	1906.86

(ग) ₹1023.85 पंचायत निधि में जमा न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत को निम्नानुसार ₹1023.85 की प्राप्ति हुई थी परन्तु इस राशि का इन्द्राज रोकड़ बही (सामान्य) में नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी भविष्य में पुनरावृति न की जाए।

रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
074389	27.8.14	202.57
074390	27.8.14	202.57
074391	27.8.14	202.57
074392	27.8.14	202.57
074393	27.8.14	202.57
074394	15.9.14	11.00
	कुल योग	**₹1023.85**

(घ) रोकड़ बही में हस्तगत शेषों में अन्तर पाए जाने बारे:–

रोकड़ बही (सामान्य) की पड़ताल के दौरान हस्तगत शेषों (Cash in hand) में गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹40 का अन्तर पाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	तिथि	रोकड़ बही में दर्शाया गया शेष	वास्तव में जितना शेष था	अन्तर
20	10.6.15	457.09	497.09	40

7 अनुदान:–

(क) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना:–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1391581.82 शेष थी। इन अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी

वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान न तो यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए तथा न ही विभिन्न अनुदानों की शीर्षवार वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में अभिलेख का नियमित रूप से अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख की वसूली शेष पाया जानाः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक निम्नानुसार ₹15220 राजस्व (गृहकर) की कम वसूली हेतु थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014–15	491	10	–––	4910	4910	0	4910
2015–16	506	10	4910	5060	9970	0	9970
2016–17	525	10	9970	5250	15220	0	15220

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः—

(क) अंकेक्षण के दौरान Online muster rolls के साथ वाउचर नस्ति में संलग्न Muster Rolls के मिलान के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित श्रमिक जिन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत कार्य किया था उनके खाते में उनकी मजदूरी से सम्बन्धित राशि क्रेडिट नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	मस्टर रोल सं0	निर्माण कार्य का शीर्ष	श्रमिक का नाम／Job Card सं0	मजदूरी से सम्बन्धित राशि जो श्रमिक के खाते खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी
2／17	1427	भूमि सुधार श्री सोहन लाल पुत्र श्री परस राम बेंडी	श्री जिया लाल／110	1190
	1474	—यथोपरि—	श्री जिया लाल／110	1700
	1612	रोशन लाल पुत्र परस राम बैण्डी	श्री जिया लाल／110	1870
	1613	भूमि सुधार श्री कांशी रात कलवाना	श्री कांशी राम／77	1870
	1696	—यथोपरि—	श्री कांशी राम／77	2380

(ख) अंकेक्षण के दौरान निम्नानुसार निर्माण कार्यों पर आये कुल व्यय से सम्बन्धित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण इन निर्माण कार्यों पर किया गया कुल व्यय सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की मूल्यांकित राशि सीमा तक था इस तथ्य की पुष्टि

नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नलिखित निर्माण कार्यों की समाप्ति पर इन पर आये कुल व्यय तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों की मूल्यांकित राशि बारे विवरण सम्बन्धित माप पुस्तिका सहित प्रस्तुत किया जाए ताकि निर्माण कार्य पर आया व्यय उसकी मूल्यांकित राशि के भीतर था इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**
मनरेगा	5/14	153 से 156	वा0सं0 1 से 31 तक विभिन्न निर्माण कार्य
	2/17	17 से 19	वा0सं0 26 से 53 तक विभिन्न निर्माण कार्य
सामान्य	2/17	62	रिपेयर लिंक रोड तथा जल निकासी मेन सड़क नियर बैहन्दी से सयाज सरसा
		62	मुरम्मत/नि0 लिंक रोड क्यार ब्राहम्ला
		63	नि0 पक्का रास्ता/रिटेनिंग वाल समीप महिला मंडल जयनगर
		63	नि0 सामुदायिक शौचालय च्भ्ब् लोहार घाट
		64	नि0 सामुदायिक शोचालय रैला
		64	नि0 आगंनबाड़ी केन्द्र सरसा
	1/16	31	नि0 कार्य पूर्ण करने हेतु कटिंग ग्रेडिंग जरलु से पेंद
		32	नि0 लिंक रोड विस्तार गाँव चहलवाना से क्यार
		33	नि0 रास्ता ड्रेन रिटेंनिंग वाल डोरा टीकर वास देवीसिंह
		34	नि0 लिंक रोड HB गाँव भड़ेच
		33	नि0 पुली/पानी निकासी लिंक रोड जोवी से चालवाना

(ग) अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृतियाँ नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	निर्माण कार्य का शीर्ष
सामान्य	01/16	32	नि0 चार दिवारी पक्का जंगला महिला मंडल भवन
		32	नि0 पुली गाँव चहलवाना वास मनोहर लाल
		32	नि0 पुली चहलवाना वास को0री0 बैन्सक
		34	नि0 पक्का पाथ व डरेन गाँव नियु
		31	नि0 लोइंक रोड दिदु निचले भड़ेच से उपरले भड़ेच हरिजन बस्ती
		31	नि0 रिटेनिंग वाल शिव मन्दिर के पास बैहन्दी
		33	नि0 लिंक रोड सुनलीरूग से डोरी जोल
		33	नि0 लिंक रोड गाँव चाहलवाना करयान बुध राम वास
		33	नि0/रिपेयर महिला मंडल भवन जयनगर
		33	नि0 रास्ता ड्रेन रिटंनिंग वाल डोरा टीकर वास देवी सिंह
		33	रिपेयर महिला मंडल भवन पलौन
		34	नि0 लिंक रोड HB गाँव भड़ेच
		33	नि0 पुली/पानी निकासी लिंक रोड जोवी से चालवाना
	2/17	62	मुरम्मत/लि0 लिंक रोड क्यार ब्राहम्ला
		63	नि0 पक्का रास्ता/रिटेनिंग वाल समीप महिला मंडल जयनगर
		63	नि0 सामुदायिक शौचालय च्भ्ब लोहारघाट
		64	नि0 सामुदायिक शौचालय रैला
		64	नि0 आंगनबाड़ी केन्द्र सरसा
मनरेगा	5/14	153	नि0 भूमि सुधार रामजी दास चलवाना
		154	नि0 भूमि सुधार चमन लाल जयनगर

नि0 भूमि सुधार शेर सिंह जयनगर

नि0 रास्ता खडॉजा जयनगर

नि0 रास्ता बहेंदी से स्थाण

155 नि0 भूमि सुधार रतन लाल भेंदी

(घ) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की खपत निकालने हेतु खपत दर (Consumption factors) का विवरण नहीं दिया जा रहा था, जिसके अभाव में निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption satement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में खपत की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(ङ) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कई निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने के तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित कर दिए गये थे इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्यों की कुल प्रविष्टियाँ सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा Register of Technical checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर (Form-31) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(छ) अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन नहीं दर्शाए गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

10 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएः–

(क) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹12.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका संख्या 1 तथा 2 में क्रमशः ₹1137137 स्टॉक/स्टोर का क्रय तथा ₹130720 JCB का भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त तालिका 2 में दर्शाए गए कुछ निर्माण कार्यों जोकि जेसीबी से करवाए गए थे कि सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जेसीबी द्वारा करवाये गये कार्यों की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाये। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय तथा JCB हेतु किये गये भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

तालिका संख्या 1

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	1/16	31	39600	रेत तथा बजरी
			2680	सीमेंट किराया
			25985	ग्रिल व गेट
			13500	ईंटें

			2200	रेत, बजरी ढुलान
		32	33675	बजरी, रेत, गटका
			9075	रेत, बजरी, सीमेट ढुलान
			2035	सीमेंट किराया
			2150	सीमेंट ढुलान
			30250	बजरी, रेत, गटका क्रय
			8520	खच्चरों द्वारा ढुलान
			5570	सीमेंट किराया
			51000	रेत तथा बजरी क्रय तथा ढुलान
			5292	सरिया क्रय
			5405	सीमेंट किराया
			51000	रेत तथा बजरी क्रय तथा ढुलान
			5400	सरिया क्रय
		33	1450	सीमेंट ढुलान
			19800	रेत बजरी क्रय तथा ढुलान
			8124	पाईप्स V/पुलिया
			4924	किराया पाईप्स/पुलिया
			1733	सरिया
			3200	रेत बजरी क्रय तथा ढुलान
			7304	गटका क्रय तथा ढुलान
			5000	गटका क्रय तथा ढुलान
			14000	बजरी रेत क्रय तथा ढुलान
			8610	सीमेंट किराया
		34	64750	रेत, बजरी , गटका क्रय तथा ढुलान
			21030	रेत का क्रय तथा सीमेंट व रेत का ढुलान
मनरेगा	5/14	153	11760	रेत तथा बजरी
			2200	सीमेंट किराया
			12320	रेत तथ्शा बजरी
			1500	सीमेंट किराया

			———	————
			12800	रेत तथा बजरी
			1500	सीमेंट किराया
			11920	रेत तथा बजरी
			——	———
			1500	सीमेंट किराया
			13500	पत्थर क्रय
		154	10125	पत्थर
			11250	पत्थर
			16875	पत्थर
			27000	पत्थर
			15750	पत्थर
			16425	पत्थर
			5310	पत्थर
			7500	पत्थर
			7300	पाईप्स/पुलिया
			2920	रेत
			58000	पत्थर
			56000	रेत तथा बजरी
			25360	पत्थर
			8000	शेटरिंग किराया
			4000	सीमेंट किराया
			14000	सीमेंट किराया
			14800	रेत
सामान्य	2/17	63	45000	रेत क्रय तथा ढुलान
			48000	बजरी क्रय तथा ढुलान
			48000	यथोपरि
			15000	शेटरिंग किराया
			48000	बजरी क्रय तथा किराया

			45000	रेत क्रय तथा ढुलान
			14160	सीमेंट ढुलान
			5400	रेत ढुलान
		64	1100	स्टेशनरी तथा कम्पयूटर सम्बन्धी वस्तुएं
			18000	पत्थर क्रय तथा तुड़ाई
			3500	ढुलान बजरी
			2600	शेटरिंग किराया
			12000	रेत क्रय तथा ढुलान
			8500	शेटरिंग किराया
	कुल योग		**1137137**	

तालिका संख्या 2

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**
सामान्य	01/16	32	30400
	01/16	33	34400
	01/16	34	25920
	02/17	62	20000
	02/17	62	20000
	कुल योग		**130720**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त तालिका 2 में दर्शाए गए संविदाकारों/ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थीः–

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सैस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए। भविष्य

में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 पावती सम्बन्धी अनियमितताएंः—

(क) भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय के एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	1/16	32	25985	ग्रिल व गेट
			13500	इंटे
			5292	सरिया क्रय
			5400	सरिया क्रय
		33	8124	पाईप्स टध्पुलिया
			1733	सरिया
मनरेगा	2/17	17	18360	Muster Roll No. 1474
			11900	-do- 1477
			16660	-do- 1483
			8840	-do- 1610
			19040	-do- 1635
			19040	-do-1699
			8670	-do-1700
			22100	-do-1742

सामान्य	1/16	32	30400	JCB इस्तेमाल के एवज में किया गया भुगतान
		33	34400	–यथोपरि–
		33	25920	–यथोपरि–
	2/17	62	20000	–यथोपरि–
		62	20000	–यथोपरि–

(ख) निम्नलिखित प्रकरणों में पावती किये गए भुगतान से मेल नहीं खाती थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**	**रोकड़ बही में भुगतान की गई राशि (₹)**	**जितने की पावती दी गई थी**
सामान्य	1/16	33	पुलिया/पाईप्स	4924	5000
	2/17	64	शेटरिंग किराया	2600	2850

12 ₹180 का अधिक भुगतान करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹180 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**किया गया भुगतान**	**जितना भुगतान बनता था**	**अधिक भुगतान**	**टिप्पणी/विवरण**
सामान्य	2/17	63	360	180	180	बिल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा एक पेपर रिम का क्रय किया गया था, जिसका ₹180 प्रति रिम था। परन्तु भुगतान ₹180 के स्थान पर ₹360 का किया गया था।

13 ₹0.09 लाख के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि शेटरिंग के किराए के लिए ₹8500 (रोकड़ बही सामान्य, माह 2/17 पृष्ठ संख्या 64) का भुगतान किया गया था परन्तु बिल पर न तो शेटरिंग के माप बारे तथा न ही रेट बारे कोई विवरण दर्ज था। एक ओर जहां क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई दूसरी ओर भुगतान करते समय बिल प्रयोग में लाई गई शेटरिंग की मात्रा तथा रेट बिना ही भुगतान कर दिया गया जोकि अनियमित था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु IAY रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 16 (माह 2/17) के अनुसार ₹120000 जारी की गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(ख) माह 5/14 में (पृष्ठ संख्या 01) TSC के अन्तर्गत श्री रोशन लाल पुत्र श्री सुदामा राम को मकान निर्माण हेतु ₹37500 जारी किये गये थे, परन्तु अंकेक्षण के दौरान राशि जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ग) IAY से सम्बन्धित रोकड़ बही में शौचालय निर्माण से सम्बन्धित राशि की प्राप्ति तथा भुगतान दर्ज किये गये थे, जबकि IAY की रोकड़ बही में शौचालय से सम्बन्धित राशियों की प्राप्तियाँ तथा भुगतान दर्ज किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

15 स्टोर/स्टॉक सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(क) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस

सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ख) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर प्राप्ति व उपयोग लेखा पूर्ण किया जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	1/16	31	39600	रेत तथा बजरी
			25985	ग्रिल व गेट
			13500	ईंटे
			2200	रेत, बजरी ढुलान
		32	33675	बजरी, रेत, गटका
			9075	रेत, बजरी, सीमेंट ढुलान
			30250	बजरी, रेत, गटका क्रय
			8520	खच्चरों द्वारा ढुलान
			51000	रेत तथा बजरी क्रय तथा ढुलान
			5292	सरिया क्रय
			51000	रेत तथा बजरी क्रय तथा ढुलान
			5400	सरिया क्रय
		33	19800	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
			8124	पाईप्स V/पुलिया
			4924	किराया पाईप्स/पुलिया

			1733	सरिया
			3200	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
			7301	गटका क्रय तथा ढुलान
			5000	गटका क्रय तथा ढुलान
			14000	बजरी, रेत क्रय तथा ढुलान
		34	64750	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा ढुलान
			21030	रेत का क्रय तथा सीमेंट व रेत का ढुलान
			300	स्टेशनरी
			220	–यथापेरि–
मनरेगा	5/14	153	11760	रेत तथा बजरी
			12320	रेत तथा बजरी
			12800	रेत तथा बजरी
			11920	रेत तथा बजरी
			13500	पत्थर क्रय
		154	10125	पत्थर
			11250	पत्थर
			16878	पत्थर
			27000	पत्थर
			15750	पत्थर
			16425	पत्थर
			5310	पत्थर
			7500	पत्थर
			7300	पाइप्स/पुलिया
			2920	रेत
			58000	पत्थर
			56000	रेत तथा बजरी
			25360	पत्थर

			14800	रेत
सामान्य	2/17	63	45000	रेत क्रय तथा ढुलान
			48000	बजरी क्रय तथा ढुलान
			48000	–यथापरि–
			15000	शेटरिंग किराया
			48000	बजरी क्रय तथा किराया
			45000	रेत क्रय तथा ढुलान
			5400	रेत क्रय तथा ढुलान
			190	स्टेशनरी
			360	पेपर रिम
			216	स्टेशनरी
		64	1100	स्टेशनरी तथा कम्पयूछर सम्बन्धी वस्तुएं
			762	स्टेशनरी
			18000	पत्थर क्रय तथा तुड़ाई
			3500	बजरी क्रय व ढुलान
			12000	रेत क्रय तथा ढुलान
		कुल योग	**1053325**	

(ग) स्टॉक सामग्री रजिस्टर के रख रखाव बारेः–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर में सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था जैसे कि व्यक्ति जिसे सीमेन्ट जारी किया गया था न तो उसका नाम एवं पता भरा जा रहा था तथा न ही सीमेंट की प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर लिए जा रहे थे (पृष्ठ संख्या 24) । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

16 विविधः–

(क) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। साथ ही रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमानुसार नहीं की गई थी तथा रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं था। रसीदें रद्द की गई थी परन्तु रद्द किये जाने के कारण तथा उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, उदाहरणस्वरूप रसीद संख्या 074396 ₹1833 (दिनांक अंकित नहीं)। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके तथा रसीद बुक रजिस्टर पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई भुगतान सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिए गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	01/16	34	300	स्टेशनरी
	06/15	51	220	–यथोपरि–

(ग) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । Muster Rolls का Part III (रोकड़ बही, सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। Muster Rolls रजिस्टर के स्तम्भों में भी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा Muster Rolls को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। मनरेगा के Muster Rolls मस्टर रोल से सम्बन्धित Muster Rolls रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मनरेगा से सम्बन्धित Muster Rolls रजिस्टर पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(घ) बजट आंकलन (Budget estimate) बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार विहित फार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाएं।

(ङ) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये

जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	2/17	63	85700	भुगतान सम्बन्धी वाउचर
		62	14540	–यथोपरि–
मनरेंगा	2/17	17	12240	Muster Roll No. 1345

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः– खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 41/2018–खण्ड–1–3936–3939 दिनाँक30.05.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत क्यार कनैता, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881